न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः मनोज गोयल,
प्रशा0 सदस्य

प्रकरण कमांक निग0 217–दो/11 विरूद्ध आदेश दिनांक 4–12–13 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण कमांक 485/अपील/2009–10.

1– बालमुकुन्द
2– प्रभूलाल
3– मुंशीलाल
4– चुन्नीलाल
5– गनेश राव
6– नारायण
7– वीरेन्द्र
सभी पुत्रगण बालचंद
निवासी ग्राम साहनखेडी
तहसील सिंरोज जिला विदिशा
8– शक्करिया बाई विधवा बालचंद
निवासी ग्राम साहनखेडी
तहसील सिंरोज जिला विदिशा
9– रामबाई पुत्री बालचंद पत्नि कम्मोदसिंह
निवासी ग्राम सुरखेर तहसील लटेरी जिला विदिशा
10– रतनबाई पुत्री बालचंद पत्नि तुलाराम
निवासी ग्राम ईसरवास, तहसील लटेरी, जिला विदिशा
11– गुलाबबाई पुत्री बालचंद पत्नी खूबसिंह
निवासी ग्राम धरमपुर तहसील लटेरी
जिला विदिशा ———आवेदकगण

विरूद्ध

हीरोबाई पत्नि धन्नालाल
निवासी ग्राम रूसल्ली साहू
तहसील लटेरी जिला विदिशा ——— अनावेदक

श्री राजकुमार जैन, अधिवक्ता, आवेदकगण ।
श्री मनोज गुप्ता, अधिवक्ता अनावेदक ।

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10/4/15 को पारित)

.....

यह निगरानी अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के प्रकरण कमांक

485/अपील/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 4–12–10 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में ग्राम साहनखेडी स्थित भूमि कुल किता 13 रकबा 6.388 हैक्टर पूव में बालचन्द पुत्र श्री मानक अहिरवार के नाम दर्ज थी । उभय पक्ष मृतक बालचन्द के वारिसान हैं । आवेदकों द्वारा पंजीकृत वसीयत के आधार पर विचारण न्यायालय में नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया । उक्त आवेदन पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर आदेश दिनांक 30–6–06 को आदेश पारित किया गया तथा उक्त आवेदन अस्वीकार किया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदकों ने एस.डी.ओ. के समक्ष अपील पेश की जो उन्होंने स्वीकार की तथा वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण का आदेश पारित किया । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में द्वितीय अपील पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा स्वीकार की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

2– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विरूद्ध है अनुविभागीय अधिकारी ने वसीयत को सिद्ध मानकर वसीयत के आधार पर नामांतरण के जो आदेश दिए गए हैं वे उचित हैं और उनमें ऐसी कोई विधिक त्रुटि नहीं है जिस कारण प्रकरण प्रत्यावर्तित किया जाये । अनावेदिका मृतक भूमिस्वामी की उत्तराधिकारी नहीं है और ना ही उसे अपील करने का अधिकार था जिस सरपंच के प्रमाणपत्र के आधार पर अपर आयुक्त ने आदेश दिया है वह त्रुटिपूर्ण है । अनावेदिका अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं रही अतः उसे अपील प्रस्तुत करने की अनुमति लेना चाहिए थी जो इस प्रकरण में नहीं ली गई है । अनावेदिका ने अपने उत्तराधिकार के संबंध में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए था जो नहीं किया गया । अपर आयुक्त ने उक्त तथ्यों को अनदेखा किया है, इस कारण उनका आदेश निरस्ती योग्य है ।

4– अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि तहसील में मूल वसीयतनामा पेश नहीं किया गया । सभी वारिसों की जानकारी नहीं दी गई । तहसील में आवेदकगण अपना पक्ष प्रमाणित नहीं कर सका । अनुविभागीय

अधिकारी ने बिना जांच के आदेश दिए हैं । अपर आयुक्त ने प्रकरण को प्रत्यावर्तित किया है, जहां आवेदकों को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है । विचारण न्यायालय में जांच होगी जहां सही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी । अतः निगरानी निरस्त की जाये ।

5– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया एवं आलोच्य आदेशों का परिशीलन किया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस प्रकरण में अनावेदिका हीरोबाई के भूमिस्वामी बालचन्द की वैध वारिसा होने पर कोई आपत्ति नहीं ली गई । अतः उनको न सुने जाने का अपर आयुक्त का निष्कर्ष सही है । तहसीलदार के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उसमें उन्होंने वसीयत की फोटो प्रति पेश होने का उल्लेख किया है जबकि आदेश पत्रिका में एक जगह मूल वसीयत पेश होने का उल्लेख अवश्यक है लेकिन आदेश में फोटोप्रति का उल्लेख होने से अपर आयुक्त की इस संबंध में आपत्ति सही है । उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधिनुकूल है और उसमें कोई परिवर्तन आवश्यक नहीं है ।

परिणामस्वरूप यह निगरानी अमान्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशा0 सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर